यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाईं, उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, श्रीनगर, पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय परियोजना **कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाईं, उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, श्रीनगर, पौड़ी** के अवधि 04/2014 से 03/2016 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं मो. सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा डी.एन. मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 11.11.2016 से 25.11.2016 के मध्य सम्पादित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा, श्री नवीन कुमार मौर्य ले.प. द्वारा दिनांक 14.08.2014 से 27.08.2014 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

उक्त अवधि में निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष/अधिशासी अभियंता/लेखाधिकारी का पदभार संभाले रखा-

क्र.सं.	पदनाम	अवधि
1.	श्री दीपक नौटियाल परियोजना प्रबन्धक	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक
2.	श्री बलवंत सिंह फरस्वान, लेखाकार	विगत लेखापरीक्षा से 02/2015 तक
3.	श्री विजय प्रसाद खाली, लेखाकार	02/2015 से वर्तमान तक

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ)	भाग-दो(ब)
19/2008-09	----------	1,2,3
29/2009-10	1,2	1,2,3,4,5
12/2010-11	----------	1,2,3,4,5,6
28/2012-13	----------	1
75/2014-15	1	1,2,3

(स) सतत् अनियमिततायेः- शून्य

(द) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित)- शून्य

1. बजटः-

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष		**2013-14**	**2014-15**	**2015-16 (मार्च 2016 तक)**
प्रा. अवशेष		1419.333	1975.514	1810.205
वर्ष में प्राप्तियां	**1**. केन्द्रांश	----	----	-----
	2. राज्यांश	2038.571	1457.776	1989.962
	3. ब्याज	10.486	1.458	------
	4. अन्य	0.985	1.085	2.328
कुल योग		3469.375	3435.833	3802.495
कुल व्यय		1493.861	1625.628	1815.200
अन्तिम अवशेष		1975.514	1810.205	1987.295

<u>भाग-दो(अ)</u>

प्रस्तर-1 भूमि चयन तथा डी.पी.आर. के गठन के बिना प्रतिबंधित क्षेत्र ` 83.30 लाख का निर्माण कार्य किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड - V। के पैरा - 375 के अनुसार कोई भी कार्य तब तक आरम्भ नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि उसका विस्तृत आगणन स्वीकृत न करा लिया जाय एवं पैरा - 373 के अनुसार निर्माण कार्य के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण न कर लिया गया हो।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण इकाई पेयजल निगम श्रीनगर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि `151.79 लाख के प्रारम्भिक आगणन पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा थाना बद्रीनाथ में पुलिस विभाग के टाइप-II के 10 तथा टाइप - III के 04 आवासों के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ` 1,51,79,000 की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की गयी (मार्च 2008)। शासन द्वारा धनराशि इस शर्त के साथ जारी की गयी कि वित्तीय नियमों के अनुसार जहाँ आवश्यक हो व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाय, व्यय पुलिस मुख्यालय की सहमति से किया जायेगा। कार्य का विस्तृत आगणन स्वीकृत करा लिया जाय तथा कार्यदायी संस्था के साथ पुलिस मुख्यालय स्तर पर नियमानुसार संविदा करते हुए शासन को उपलब्ध करायी जाय। पुलिस विभाग द्वारा कुल ` 103.30 लाख की धनराशि इकाई को अक्टूबर 2009 तक उपलब्ध करा दी गयी। लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि श्री बद्रीनात में मास्टर प्लान लागू होने से निर्माण कार्य पर रोक के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन से अनुरोध किया गया कि क्षेत्र में मास्टर प्लान लागू होने एवं अन्य कारणों से बद्रीनाथ में निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है अतः कार्यस्थल परिवर्तित करते हुए उक्त कार्य जनपद में अन्यत्र कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाय (जुलाई 2011)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा पुलिस विभाग को अवगत कराया गयाकि नवीन चिन्हित कार्यस्थल सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाय (जनवरी 2014)। शासन द्वारा (मार्च 2016) विस्तृत कार्य योजना (डी.पी.आर.) एवं भूमि की अनुपलब्धता के कारण जनपद चमोली के थाना परिसर बद्रीनाथ में पूर्व में स्वीकृत श्रेणी-II एवं श्रेणी - III के आवासों के निर्माण की स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा निविदाएँ आमंत्रित कर ठेकेदार से कार्य प्रारम्भ करा दिये गये (मई 2014) तथा लेखापरीक्षा तिथि तक ` 83.30 लाख का व्यय करते हुए टाइप –II के 08 आवासों का निर्माण कराया गया। लेखापरीक्षा जाँच में यह भी पाया गया कि निर्माण कार्य प्रारम्भ से पूर्व परियोजना की डी.पी.आर. तैयार नहीं की गयी तथा प्राविधिक स्वीकृत सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गयी। शासन द्वारा प्रशासकीय विभाग को योजना की स्वीकृति के समय यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि कार्यदायी संस्था के साथ पुलिस मुख्यालय स्तर पर नियमानुसार संविदा करते हुए शासन को उपलब्ध कराया जाय परन्तु पुलिस विभाग द्वारा

कार्यादायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया गया परिणामस्वरूप इकाई द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में ` 83.30 लाख के निर्माण कार्य निर्धारित कार्यस्थल के चुनाव/चिन्हीकरण के बिना करा दिये गये।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य पुलिस अधीक्षक चमोली के आदेशानुसार प्रारम्भ किये गया (फरवरी 2014)। परियोजना के डी.पी.आर. न बनाये जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि वर्ष 2008 से 2014 तक निर्माण कार्य के सम्पादन पर बद्रीनाथ में मास्टर प्लान लागू किये जाने संबंधी कार्यवाही के कारण विस्तृत आगणन का गठन औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं हुआ। इकाई द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया गया तथा वर्ष 2008 की दरों पर स्वीकृत प्रारम्भिक आगणन के समस्त प्रस्तावित कार्यों के सम्पादन हेतु वर्ष 2014 की दरों पर पुनरीक्षित विस्तृत आगणन न गठन की कार्यवाही गतिमान थी कि कार्य बन्द करने के आदेश दिये गये। कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त न किये जाने के संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि विस्तृत आगण करने पर तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमों के अनुसार कोई भी कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि उसका विस्तृत आगणन न स्वीकृत करा लिया जाय तथा निर्माण कार्य के लिए चिन्हित भूमि का अधिग्रहण न कर लिया गया हो। बद्रीनाथ में जब मास्टर प्लान लागू होने के कारण निर्माण कार्य प्रतिबंधित थे एवं पुलिस महानिदेशक स्तर शासन के साथ पत्राचार जारी था। उसी बीच जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के आदेश देना नियमों के विरूद्ध था। इकाई द्वारा विस्तृत आगणन के गठन के तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कार्य प्रारम्भ कराये गये। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गयी परिणामस्वरूप नियमों के विरूद्ध प्रतिबंधित क्षेत्र में ` 83.30 लाख के अवैध निर्माण कार्य कराये गये।

STAN

प्रस्तर-1- ` 4.33 लाख की धनराशि विगत चार वर्ष से अवरूद्ध रखकर व्यगत जमा (Lapsed Deposit) में जमा ना किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-V। पैरा - 622 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्यपूर्ति के मूल्य की 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत ठेकेदारों से लेने चाहिये तथा राशि डिमांड ड्राफ्ट या सावधिक जमा रसीद या बैंक गारंटी के रूप में जमानत के तौर पर रखने का प्रवाधान है। यह धनराशि तीन वर्ष पूरा होने या कार्य पूर्ण होने (इनमें से जो पहले हो) पर उक्त धनराशि को वापस कर देना चाहिये। ठेकेदार द्वारा जमा धनराशि की मांग ना किये जाने पर उसे तीन वर्ष के बाद वयगत जमा (Lapsed Deposit) या शासकीय खजाने में जमा कर दिया जाना चाहिये।

परियोजना प्रबंधक निर्माण शाखा पेयजल निगम की डिपाजिट रजिस्टर की जांच करने पर यह देखा गया कि 21 ठेकेदारों की कुल ` 4,33,000 की जमानत की धनराशि वर्ष 2012 से एफ.डी.आर. बना कर विभाग के पास रखी गई है। जिसका विवरण निम्नवत हैः-

क्र.सं./रजिस्टर सं.	ठेकेदार का नाम	योजना का नाम	जमानत/एफ.डी.आर.	जमानत की धनराशि
1/42	Ishwar Parsad	Student Facilities	Bgv. 007283	30000.00
2/47	B.H. Chitra	For Taxi panchayat ghar	a/c.69&245110006	5000.00
3/52	FloraTechnologies	Student facilities	SBE 734661	8000.00
4/58	Flora Technologies	PG Sciences	SBE73&660	8000.00
5/91	M/s Parwar const company	SAD Bakseer	885722	50000.00
6/106	Delite const	Usi B Tech	DD574905	69600.00
7/107	Delite const	Social	DDno. 574903	60000.00
8/107	Delite com	PG. Scince	Ddno no. 574902	75000.00

9/108	Delite com	Fok Dept	DDno. 574900	32000.00
10/109	Delite com	MCA	DDno. 574899	40500.00
11/110	Delite com	Tarismmainer	DDno. 574904	71500.00
12/111	Delite com	New Museum	DDno. 57490	43300.00
13/128	Flora Tech	Electrical work	735127	8000.00
14/129	Flora Tech	Electrical works	735129	8000.00
15/130	Flora Tech	Electrical PG science	735128	14000.00
16/144	Flora Tech	PG science Elety	735308	21000.00
17/145	Flora Tech	GIC Taila	735198	25000.00
18/156	Moshad Alam	Finishing work of student	BG4009392	30000.00
19/175	M/s Bhardwaj const comp.	S.A.D. Marigash	SBI86781454150	75000.00
20/192	Shri Rakesh	P.H.C Lawan	02279	35000.00
21/209	Akil Khan	Folk	02631	40000.00
22/195	Bharajwad conat	PHC Lawani	8407	111000.00
			Total	**4,33,000.00**

इस संबंध में विभाग से जब पूछा गया तो इकाई ने अपने उत्तर में कहा कि ठेकेदारों द्वारा मांग नहीं किया गया है उक्त धनराशि की वापसी की जबकि निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। धनराशि मांगे जाने पर धनराशि वापस कर दी जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनराशि को तीन वर्ष बाद शासकीय खजाने में या व्यापगत जमा के रूप में दर्ज किया जाना चाहिये।

अतः ` 4.33 लाख की धनराशि अवरूद्ध रखकर (Lapsed Deposit) में जमा ना करने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाईं, उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, श्रीनगर, पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय-महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

(सा.क्षे.)